

दिनांक : 21.09.2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वाद पुकारा गया। अभियोजन की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार न्यायालय में उपस्थित हैं। थाना गोपेश्वर से आदेश दिनांकित 20.07.2022 के अनुपालन में वाहन की नीलाम/विक्रय के सम्बन्ध में कोई आख्या प्राप्त नहीं है। आख्या हेतु इन्तजार किया जाये।

पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश हेतु दिनांक 15.10.2022 को प्रस्तुत हो।

(सचिन कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।